

मु.नं. 05/2018 नरसी 115 रामदेव रॉ.

01/6/18

आज यह पत्रावली न्याय आपके कार केंद्र
कोर्ट ग्राम गुडलिया में पेश हुई। वादी स्वयं
उपरोक्त वादी ने प्राप्ति विज्ञा का पेश कर
निवेदन किया कि प्रकृत को आज नहीं
पहचाना जाता तथा विज्ञा करने की अनुमति
देने का कथन किया। वादी की पहचान
सरपंच ग्राम पंचायत गुडलिया ने की है।
प्राप्ति विज्ञा का स्वीकार किया जाकर
वादी को वाद विज्ञा करने की अनुमति
दी जाती है। विज्ञा के आधार पर वादवाजे
किया जाता है पत्रावली के साथ शुभा सेवा
दर्शन से कम है तथा दायित्व दर्शाते हैं।

नरसी

संगत
ग्राम पंचायत-3
पं. स. गोविन्दगढ़ (ज-34)

